

FROM NO. III

फर्द अहकाम (नियम 26)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज
15-1-2021	<p>पत्रावली पत्र हुकम/वकाल उजब वक एवं गवाह श्री..... उपस्थित..... वत: पत्रावली पूर्वदिशानुसार ति 19/1/2021 को लेने से</p> <p style="text-align: center;">3</p>
25/6/25	<p>पत्रावली सीगह से लख बैकर पैरा डी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में वस्तीलदार इंगला से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। पत्रावली में विभाजन प्रस्ताव भंगवत है। वस्तीलदार इंगला को पत्र लिखा जावे। पत्रावली विभाजन प्रस्ताव के इंगला में दिनांक 16/1/25 को पैरा डी।</p>
16/2/25	<p>पत्रावली पैरा डी वकील अभयपति उपरिष्प वस्तीलदार इंगला से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इंगला विभाजन प्रस्ताव में है।</p>
18/1/25	<p>वस्तीलदार इंगला से न्यायालय दफा में लखि प्रथमिक डिक्री के सम्बन्ध में अपने पत्र क्रमांक 10/1/25 2025/150 दिनांक 14.11.2025 के द्वारा रिपोर्ट पैरा डी अवरुध कराया गया कि, वादी की मृत्यु हो चुकी है। तथा वादी कई वर्षों पूर्व महमदगंज को छोड़कर अन्यत्र वस्तील इंगला के साथ लखि में निवास कर रहे हैं। वादी के पति का नाम है। इसलिए प्रथमिक डिक्री अख्तियारी की पालना में कार्यवाही में नहीं हो सकी है। इस सम्बन्ध में वकील वादीगण को अवगत कराया गया। वकील वादीगण द्वारा बताया गया वादी इंगला मजहरी में नहीं है। इसलिए पत्रावली में कार्यवाही को इसी शर्त पर शेष की जाती है। पत्रावली पैरा डी सुमा बैकर उजब वक डी।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी इंगला</p>

